<u>**ईमेल/स्पीड पोस्ट द्वारा**</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 51/8/7/2015 दिनांक : 5 फरवरी, 2015

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली,
दिल्ली।

विषय : **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रयोग पर अनुदेश-शिकायत का निवारण-तत्संबंधी।**

महोदय,

मुझे, आयोग के दिनांक 4 फरवरी, 2015 के समसंख्यक अनुदेश के अनुक्रम में, ईवीएम में खराबी के आरोप लगाने के संबंध में निर्वाचक से प्राप्त की जाने वाली लिखित शिकायत के उस फार्मेट को इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जो मुद्रित करवाई जानी चाहिए और ऊपर संदर्भित दिनांक 4 फरवरी, 2015 के अनुदेश में उल्लिखित सादे कागज के बजाय अन्य मतदान सामग्री के साथ उसकी कम से कम 20 प्रतियां पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

भवदीय,

(के. एन. भार)
सचिव

.... के लिए साधारण/उप निर्वाचन

संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. एवं नाम ....

मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम ....

<u>ईवीएम में खराबी का आरोप लगाने के संबंध में निर्वाचक की घोषणा का प्रपत्र</u>

1. मैं एतदद्‌वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा एवं प्रतिज्ञान करता हूं कि <u>बैलेट यूनिट के अभ्यर्थी बटन को दबाने</u> पर उस अभ्यर्थी से, जिसके लिए मैंने बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम एवं प्रतीक के सामने संगत नीला बटन दबाकर मत दिया था, इतर अभ्यर्थी के नाम एवं प्रतीक के सामने 'रेड लैम्प' चमका है। मैं यह दर्शाने के लिए फिर से परीक्षण मत डालने के लिए तैयार हूं कि मेरे द्‌वारा लगाए गए आरोप सत्य एवं वास्तविक हैं।
2. मैं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 के दाण्डिक उपबंधों से अवगत हूं कि यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 26 के अधीन नियुक्त पीठासीन अधिकारी के समक्ष मेरे द्‌वारा उपर्युक्त पैरा 1 में दी गई घोषणा गलत पाई जाती है तो मैं कारावास से जिसकी कालावधि 6 माह तक हो सकती है या जुर्माने से जो रु. 1000/- तक हो सकता है, या दोनों से दण्डित किए जाने का भागी बनूंगा।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

निर्वाचक का नाम ....

पिता/माता/पति का नाम ....

निर्वाचक नामावली की भाग सं. ....

उस भाग में निर्वाचक की क्रम सं. ....

मतदाता रजिस्टर (फार्म 17क) में क्र. सं. ....

दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखे नाम के निर्वाचक द्‌वारा उपर्युक्त घोषणा मेरे समक्ष की गई एवं हस्ताक्षरित की गई।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

....

दिनांक ....